कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 549 सन 2022

अनवान :—

1. अमीलाल पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. लिछमण पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. अमरसिंह पुत्र पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. शिशपाल पुत्र पूर्ण जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र पूर्ण जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. चन्द्रभीम पुत्र स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मंगल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राधा पुत्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सजना पत्नी स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. चन्दो पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. इन्दा पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. पाना पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सन्तोष पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. तीजा देवी पत्नी स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. बिमला पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. बिदामी पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. प्रमेश्वरी पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. कमला पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. शान्ति पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. गोपीराम पुत्र स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. सावरमल पुत्र स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 27/7/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540हैव भूमि जिसमें अमीलाल पुत्र छोटू का 1/6 हिस्सा , पदमा पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा , पूर्णरम पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा , प्रार्वती पत्नी लेख का 1/6 हिस्सा महावीर पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा लिछमण वल्द छोट का 1/6 हिस्सा मुस्तरका खातेदार कास्तकार है।

जमाबन्दी में दर्ज प्रार्वती पत्नी लेख , पूर्ण , पदमा , महावीर का देहानत हो चुका है पूर्ण के दो लड़के रामलाल एव सुखराम का भी देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

वाद भूमि मोती पुत्र लेखू के देहान्त होने पर उनके चार लडको उनके वारिसान के नाम दर्ज करते समय सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई थी अपने हक हिस्सा के अनुसार सही तौर से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 5 ,6 ,19 ,20 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के पर्वजो के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे हिस्सा कस्सी संशोधन करवाकर अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने निवेदन किया की उनके नाम से दर्ज भूमि उनके पूर्वज मोती वल्द लेखू के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमे हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई है वादीगण के पूर्वज पार्वती , पूर्णा, पदमा , महावीर एव उनके पुत्र रामलाल , सुखराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता , 7 ता 18 ,21 ता 23 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/भतिजो आदि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबालया दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एव प्रतिवादी संख्या 24 पेशीकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य मे वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह सुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षी की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 एनएनएमआर बी के खाता संख्या 91/82 की कुल 4.5540हैक्टेयर भूमि जिसमे अर्जुनलाल पुत्र छोटू का 1/6 हिस्सा , पदमा पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा , पूर्णराम पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा , पार्वती पत्नी लेखू का 1/6 हिस्सा महावीर पुत्र लेखू का 1/6 हिस्सा निवासगण वल्द छोटू का 1/6 हिस्सा मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

जमाबन्दी मे दर्ज पार्वती पत्नी लेखू , पूर्णे , पदमा , महावीर का देहान्त हो चुका है पूर्णे के दो लडके रामलाल एव सुखराम का भी देहान्त हो चुका है इनके आयन्दा वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

वाद भूमि मोती पुत्र लेखू के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम दर्ज करते समय सहवन से हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई थी अपने हक हिस्सा के अनुसार सही तौर से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1999 पेज 813 एवं आरआरडी वर्ष 1999 पेज 648 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राजहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएमआर बी के खाता संख्या 91 / 88 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि जिसमें अमीलाल पुत्र छोटू का 1 / 6 हिस्सा , पदमा पुत्र लेखू का 1 / 6 हिस्सा , पूर्णराम पुत्र लेखू का 1 / 6 हिस्सा , पार्वती पत्नी लेख का 1 / 6 हिस्सा महावीर पुत्र लेखू का 1 / 6 हिस्सा शिवभगवान वल्द छोटू का 1 / 6 हिस्सा मुस्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादीगण का कथन है कि भूमि उसके पूर्वज मोती वल्द लेखू के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हुई है वादीगण के पूर्वज पार्वती , पूर्ण, पदमा , महावीर एवं उनके पुत्र रामलाल , सुखराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 18 ,21 ता 23 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ता 6 ,19 ,20 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ता 18 ,21 ता 23 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राजहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएमआर बी के खाता संख्या 91 / 88 की कुल 4.5540हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 ,2 बहिंस 1 / 4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 19 ,20 बहिंस 1 / 4 हिस्सा , वादी संख्या 4 अकेला 1 / 4 हिस्सा , वादी संख्या 5 अकेला 1 / 16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1 / 16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिंस 1 / 16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 बहिंस 1 / 16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जमाबन्दी में दर्ज मृतक पार्वती , पूर्ण, पदमा , महावीर का नाम कलमजाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

... से का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अमीलाल पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. लिछमण पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. अमरसिह पुत्र पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. शिशपाल पुत्र पूर्ण जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र पूर्ण जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुकेश पुत्र स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. चन्द्रभीम पुत्र स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी स्व सुखराम जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. मंगल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. राधा पुत्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. सजना पत्नी स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. चन्दो पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. इन्दा पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. पाना पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. सन्तोष पुत्री स्व रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. तीजा देवी पत्नी स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. बिमला पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
15. बिदामी पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
16. प्रमेश्वरी पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
17. कमला पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
18. शान्ति पुत्री स्व पदमा जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. गोपीराम पुत्र स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
20. सावरमल पुत्र स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
21. सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
22. रोशनी पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
23. सरबती पुत्री स्व महावीर जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 549 सन 2022 निर्णय दिनांक– 27/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर बी के खाता संख्या 91/88 की कुल 4.5540हैक भूमि में वादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 19 ,20 बहिब 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा , वादी संख्या 5 अकेला 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/16 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/16 हिससा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बहिब 1/16 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है जमाबन्दी में दर्ज मृतक प्रार्वती , पूर्ण, पदमा , महावीर का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर